

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या-सह-प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का
दिनांक-10.02.2026 से दिनांक-12.02.2026 तक देवघर एवं गिरिडीह जिले में औचक
निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।**

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा दिनांक-10.02.2026 से दिनांक-12.02.2026 तक देवघर एवं गिरिडीह जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं यथा-विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण, जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

देवघर जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक-11.02.2026**

➤ **जनवितरण प्रणाली केन्द्र :-**

- दिनांक-11.02.2026 को आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री निसार आलम, पटवाबाद, देवघर, अनुज्ञप्ति संख्या 97/91 के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। आसपास के लाभुकों से पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा जनवितरण प्रणाली वितरक को सूचना पट्ट पर आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी अंकित कराने का निर्देश दिया गया।(फोटो की प्रति संलग्न)

➤ **पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :-**

- आयोग द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मोहनपुर, देवघर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान पी0 एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया, किन्तु बच्चों से पूछने पर मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्यालय के शिक्षक को मेन्यू के अनुसार भोजन देने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, बदिया, प्रखण्ड-मधुपुर, जिला-देवघर U-Dise code 20070706501 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन कुकिंग गैस पर बनता हुआ पाया गया। बच्चों द्वारा सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलने की बात कही गई। विद्यालय में पी0 एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू तो अंकित है, किन्तु मेन्यू के अनुसार

बच्चों को भोजन नहीं मिलने की बात सामने आई। आयोग द्वारा विद्यालय के प्रभारी शिक्षक को मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन देने का निर्देश दिया गया। (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा उत्कर्मित मध्य विद्यालय, पहाड़पुर - II, देवीपुर, जिला-देवघर, U-Dise code 20070904901 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बच्चों के लिए भोजन कुकिंग गैस के स्थान पर लकड़ी पर बनता हुआ पाया गया। विद्यालय में पी0 एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू अंकित है, किन्तु बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने की बात सामने आई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए, मेन्यू के अनुसार भोजन देने का निर्देश उपस्थित प्रभारी शिक्षक को दिया गया। (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ आंगनबाड़ी केन्द्र :-

आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी विद्यालय, सिमरा, पंचायत खासपैका, प्रखण्ड-देवघर, जिला-देवघर, कोड-606 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केन्द्र में कुल-38 बच्चे उपस्थित पाए गए। बताया गया कि गैस चूल्हा तो मिला, किन्तु गैस सिलेंडर नहीं मिला है। निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली कि केंद्र में बच्चों को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही अंडा मिलता है। पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि अंडा का मूल्य विभाग द्वारा 6 रुपए निर्धारित है, जबकि बाजार में मूल्य 9 रुपए है, ऐसे में प्रतिदिन बच्चों को अंडा देना संभव नहीं हो पाता है। सेविका द्वारा बताया गया कि जिस दिन बच्चों को अंडा नहीं मिल पाता है, उस दिन उन्हें गुड़ बादाम दिया जाता है। (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ कुपोषण उपचार केन्द्र :-

- आयोग द्वारा सदर अस्पताल, देवघर अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल 10 बेड की क्षमता है, वर्तमान में कुल 2 कुपोषित बच्चे भर्ती पाए गए। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा सही ईलाज होने, प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130 रुपए की राशि मिलने की बात कही गई। केंद्र साफ सुथरा पाया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

❖ समीक्षात्मक बैठक, देवघर।

- दिनांक-19.12.2025 को अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक परिसदन भवन, देवघर में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे देवघर जिले के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सभी शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान नगर आयुक्त, देवघर द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रखण्ड एवं जिला अलग हो तो सॉफ्टवेयर "एक देश एक राशन कार्ड" के तहत राशन वितरण सपोर्ट नहीं कर पाता है, ऐसे में लाभुक उक्त योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस हेतु सॉफ्टवेयर में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही राशन डीलर के पास स्टॉक होना चाहिए ताकि वे उक्त योजना के तहत लाभुकों को राशन दे सकें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जिले के पणन पदाधिकारी के पास मैन पावर की कमी है। पणन पदाधिकारी को कम से कम लैपटॉप/टैब उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे लैपटॉप/टैब के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को लॉगइन कर फॉरवर्ड कर सकें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अण्डा का दर पुनः निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। वर्तमान में अण्डा का बाजार मूल्य 09 रुपये है, जबकि विभाग से प्रति अण्डा का दर 06 रुपये निर्धारित है, जिस कारण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं विद्यालयों के बच्चों के बीच अण्डा का वितरण करने में कठिनाई होती है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिले के 74 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग स्तर पर कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

गिरिडीह जिला

❖ स्थलीय निरीक्षण : दिनांक-12.02.2026

➤ आंगनबाड़ी केन्द्र :-

- दिनांक-12.02.2026 को आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, पुरनी चितरपुर, गिरिडीह, कोड संख्या 20349050903 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कुल 30 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र के बच्चों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही अंडा मिलने की बात सामने आई। पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि अंडा का मूल्य विभाग द्वारा 6 रुपए निर्धारित है, किन्तु बाजार में मूल्य 9 रुपए है, इसलिए प्रतिदिन अंडा देना संभव नहीं हो पा रहा। PMMVY का लाभ लाभुकों को ससमय मिल

सके, यह सुनिश्चित करने का निर्देश सेविका को दिया गया। इसके अलावा कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराने हेतु बच्चों की माताओं को प्रेरित करने का भी निर्देश दिया गया। (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, गंगापुर (हरिजन टोला), राजधनवार, गिरिडीह, कोड संख्या 20349050122 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल 25 बच्चे उपस्थित पाए गए। बच्चों को प्रतिदिन अंडा मिलने की बात कही गई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पाई गई। (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :-

- आयोग द्वारा उत्कर्मित मध्य विद्यालय, विशुनपुर, धनवार, गिरिडीह, U-Dise code 20060708301 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बच्चों को सप्ताह में सिर्फ 1 दिन अंडा मिलने की बात सामने आई। निरीक्षण के दौरान पी एम पोषण से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया, किन्तु बच्चों से पूछने पर मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने एवं भोजन की गुणवत्ता खराब होने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्यालय के शिक्षक को मेन्यू के अनुसार भोजन देने एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया गया। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें मौसमी फल दें एवं मेन्यू का दीवार लेखन सही ढंग से कराएँ। इसके अलावा विद्यालय के बच्चों को आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराते हुए, शिकायत होने पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया। (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ जनवितरण प्रणाली केन्द्र :-

- आयोग द्वारा राशन डीलर, श्री गुलाम हुसैन अंसारी, अनुज्ञप्ति संख्या 12/89, पंचायत लालबाजार, राजधनवार, गिरिडीह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर सूचना पट्ट अंकित पाया गया। डीलर द्वारा लाभुकों को पर्ची दिए जाने एवं लाभुकों को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को जिले के सभी राशन दुकान में आयोग का व्हाट्सएप नंबर अंकित कराने का निर्देश दिया गया। (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ कुपोषण उपचार केन्द्र :-

- आयोग द्वारा कुपोषण उपचार केंद्र, राजधनवार, गिरिडीह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल-10 बेड की क्षमता है, जिनमें कुल-3 बच्चे भर्ती पाए गए। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा सही ईलाज होने, प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130 रुपए की राशि मिलने की बात कही गई। (फोटो की प्रति संलग्न)

❖ समीक्षात्मक बैठक, गिरिडीह

- दिनांक-12.02.2026 को अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक परिसदन भवन, गिरिडीह में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग द्वारा स्थलीय निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में पी0 एम0 पोषण से संबंधित पाए गए अनियमितता से संबंधित मामले को जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के संज्ञान में लाते हुए, उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्हें जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर अनियमितता को दूर करने का भी निर्देश दिया गया।

❖ आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा देवघर एवं गिरिडीह जिले में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देश:-


- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित योजनाओं यथा-जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान दोनों जिले में गठित निगरानी समिति की बैठक समय-समय पर करने एवं उस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने का निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सम्बन्धित योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। साथ ही उक्त सूचना पट्ट पर आयोग का वाट्सएप्प नंबर भी अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर लाभुक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा बैठक में

उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा दोनों जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मृत व्यक्तियों अथवा अयोग्य व्यक्तियों की पहचान कर उनका राशन कार्ड से नाम हटाने एवं योग्य व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा दोनों जिलों के उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा सम्बन्धित दोनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने-अपने जिलों के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/- ₹0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत लाभुक को बाजार दर पर 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/- ₹0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष-सह-सदस्या द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ देवघर एवं गिरिडीह जिला भ्रमण समाप्त हुआ।


(शबनम परवीन)

सदस्या-सह-प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला-देवघर

1. जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री निसार आलम, पटवाबाद, देवघर, अनुज्ञप्ति संख्या 97/91 के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण



2. उत्कर्मित मध्य विद्यालय, मोहनपुर, देवघर का स्थलीय निरीक्षण



3. राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, बदिया, प्रखण्ड-मधुपुर, जिला-देवघर U-Dise code 20070706501 का स्थलीय निरीक्षण



4. उत्कर्मित मध्य विद्यालय, पहाड़पुर - II, देवीपुर, जिला-देवघर, U-Dise code 20070904901 का स्थलीय निरीक्षण



5. मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी विद्यालय, सिमरा, पंचायत खासपैका, प्रखण्ड-देवघर, जिला-देवघर, कोड-606 का स्थलीय निरीक्षण



6. सदर अस्पताल, देवघर अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण




7. परिसदन भवन, देवघर में पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक



जिला-गिरिडीह

1. आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल, पुरनी चितरपुर, गिरिडीह, कोड संख्या 20349050903 का स्थलीय निरीक्षण



2. आंगनबाड़ी केंद्र, गंगापुर (हरिजन टोला), राजधनवार, गिरिडीह, कोड संख्या 20349050122 का स्थलीय निरीक्षण



3. उत्कर्मित मध्य विद्यालय, विशुनपुर, धनवार, गिरिडीह, U-Dise code 20060708301 का स्थलीय निरीक्षण



4. राशन डीलर, श्री गुलाम हुसैन अंसारी, अनुज्ञप्ति संख्या 12/89, पंचायत लालबाजार, राजधनवार, गिरिडीह का स्थलीय निरीक्षण



5. कुपोषण उपचार केंद्र, राजधनवार, गिरिडीह का स्थलीय निरीक्षण

